

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 137/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

कापरी ग्लोबल कॅपिटल लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: 502, टावर-ए, प्रेसिडेंसियल बिजनेस पार्क, सेनापति
बापट मार्ग, लोअर पारेल, मुम्बई, महाराष्ट्र।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री हंसराज एच पुत्र श्री नारायण,
पता:- लक्ष्मी निवास, खातीपुरों की बस्ती डिग्गी रोड, सांगानेर, जयपुर।
एवं मार्फत दादा ट्रेडिंग, कुमावतान डिग्गी रोड, सांगानेर बाजार, सांगानेर, जयपुर।
एवं प्लॉट नं. 2 एवं 2ए, गुलाब नगर, डिग्गी मालपुरा रोड, जयपुर।
एवं प्लॉट नं. 3 एवं 3ए, गुलाब नगर, डिग्गी मालपुरा रोड, जयपुर।
2. श्रीमती मनोहर देवी पत्नी श्री हंसराज कुमावत,
पता:- लक्ष्मी निवास, खातीपुरों की बस्ती डिग्गी रोड, सांगानेर, जयपुर।
एवं प्लॉट नं. 2 एवं 2ए, गुलाब नगर, डिग्गी मालपुरा रोड, जयपुर।
एवं प्लॉट नं. 3 एवं 3ए, गुलाब नगर, डिग्गी मालपुरा रोड, जयपुर।
3. श्री संजय कुमावत पुत्र श्री हंसराज,
पता:- लक्ष्मी निवास, खातीपुरों की बस्ती डिग्गी रोड, सांगानेर, जयपुर।
एवं मार्फत दादा ट्रेडिंग, कुमावतान डिग्गी रोड, सांगानेर बाजार, सांगानेर, जयपुर।
एवं प्लॉट नं. 2 एवं 2ए, गुलाब नगर, डिग्गी मालपुरा रोड, जयपुर।
एवं प्लॉट नं. 3 एवं 3ए, गुलाब नगर, डिग्गी मालपुरा रोड, जयपुर।
4. जय अम्बे फ्लोर मिल जरिये प्रोपराईटर,
पता:- ढाणी कुमावतान, डिग्गी रोड, सांगानेर बाजार, जयपुर।
एवं प्लॉट नं. 2 एवं 2ए, गुलाब नगर, डिग्गी मालपुरा रोड, जयपुर।
एवं प्लॉट नं. 3 एवं 3ए, गुलाब नगर, डिग्गी मालपुरा रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगन

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :-

1. श्री नवीन शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 24.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 26.03.2021 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती मनोहर देवी के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. पी-2, पी-02ए, पी-3 एवं पी-3ए, गुलाब नगर(हसनपुरा ए गृह निर्माण सहकारी समिति लि. द्वारा विकसित), डिग्गी मालपुरा रोड, सांगानेर, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल (प्रत्येक प्लॉट 93.33 वर्गगज), कुल क्षेत्रफल 373.32 वर्गगज को बन्धक रख कर राशि 80,90,026/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.11.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय

4/2
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दरतावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 05 अगस्त 2016 को सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 80,90,026/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 45,44,309/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 18.11.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती मनोहर देवी के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. पी-2, पी-02ए, पी-3 एवं पी-3ए, गुलाब नगर(हसनपुरा ए गृह निर्माण सहकारी समिति लि. द्वारा विकसित), डिग्गी मालपुरा रोड़, सांगानेर, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल (प्रत्येक प्लॉट 93.33 वर्गगज), कुल क्षेत्रफल 373.32 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



आदेश आज दिनांक 24.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

५०
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर